मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर,2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 15, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. आंग्ल-भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्यपाल, मध्यप्रदेश द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किये जाने विषयक विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15/56/04/21-ब (दो), दिनांक 29 नवम्बर, 2004 पटल पर रखेंगे.

2. शपथ /प्रतिज्ञान

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्र.-93 बालाघाट से उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य, श्री अशोक सिंह सरस्वार शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

(2) संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय समुदाय की श्रीमती एल.बी. लोबो शपथ लेंगी/प्रतिज्ञान करेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी.

3. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2002-2003 का छियालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2002 से दिनांक 31.3.2003 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा(3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेवलपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अनूप मिश्रा, नर्मदा घाटी विकास मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जयंत मलैया, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4300-तेरह-2004, दिनांक 22 जुलाई, 2004 पटल पर रखेंगे.

6. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", तथा श्री कमल पटेल, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में इल्लियों के प्रकोप से फसलों की क्षति होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनेक वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा आयोजित न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. नारायण परमार, सदस्य, उज्जैन जिले के -
(क) ग्राम ताजपुर में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,
(ख) ग्राम ताजपुर में हाई स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम पानबिहार में हायर सेकेडरी स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के -
(क) ग्राम श्यामगिरि में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,
(ख) ग्राम सुनवानी में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,
(ग) ग्राम बोरी में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,
(घ) ग्राम बिसानी में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,
(ड.) ग्राम मोहन्डा स्थित पुलिस चौकी का उन्नयन कर थाना में अपग्रेड किये जाने,
(च) उप-तहसील रैपुरा का उन्नयन कराये जाने, तथा
(छ) उप-स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर में 20 बिस्तरीय भवन का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, मालवीगंज, इटारसी, जिला होशंगाबाद के किसान को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

8. लोक लेखा समिति में हुए रिक्त दो स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2004-2005 की शेष अवधि के लिये लोक लेखा समिति में रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

9. वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

10 स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री, दिनांक 2 जुलाई, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्रमांक 2141) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

(2) श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में खाद बीज की कमी एवं नकली खाद बीज विक्रय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री आरिफ अकील तथा श्री सत्यदेव कटारे, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

13. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घन्टे

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 5 दिसम्बर, 2004